

2017/00323

आदेश पत्रक

(नियम 13)

{ General (Civil), Rule 103, Appendix 'B', Form No. 9 }

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी (इन्डिपेंडेंट-राज.)

कुन्का अर्पित

बनाम सुभाषकुमार अर्पित

कसम मुकदमा दादा-पिता व नम्बर 165/2017 सन् स्वामी विवेकानंद

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
28/10/2017	दादा वकील अर्पित केस में फिलहाल दादा को प्रतिष्ठा है। वकील अर्पित इस बातकी तरफ ध्यान रखेंगे कि दादा को उचित न्याय मिले। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (राज.)	
31.10.17	फाकरी पैदा हुई। वकील दादी इफा वकील दादी ने परिवार नं 1, 2 व 13 को ताबत की शर्तें रखी हैं। पैदा की। फाकरी दादी तैयारी कराने 12.10.17 को पैदा हो गई। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (राज.)	
12.10.17	दादा वकील अर्पित केस में दादा को उचित न्याय मिले। दादा को उचित न्याय मिले। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (राज.)	
23.10.17	फाकरी माफ वकील दादी काम 910 पं० वाकर मिशाल तलबी का पैदा होने पर पैदा हुई। वकील दादी ने एक प्रकियापन इस माफ को पैदा किया कि दादी एवं परिवारिका के महत्व राजीनामा हो चुका है। माफ अंतर में इस को वकील दादी नहीं मानते तथा प्रकियापन को इसी तरह पर कुन्का अर्पित 23/10/17	

कायवाही विवरण

निम्नलिखित करने का आदेश प्रमाणित आवे
 कर्मील वार्ड एवं वार्ड को बना गया।
 वार्ड कुम्हार ने प्रमाणित के निम्नलिखित हेतु
 अपना स्थायी हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर
 किया। पतावली का हस्ताक्षर के अन्तर्गत
 किया गया तथा वार्ड को सुना गया तथा
 इस निष्कर्ष पर पट्टे कि वार्ड के व
 परिवारिक के सदस्य राजनीति हो चुका
 है तथा वे प्रमाणित के साथ कोई कार्रवाई
 नहीं चाहते मात्र वाद-पत बाध
 विभाजन एवं स्वयं निर्दिष्ट। का
 इसी हस्त पर ड्रॉप किया जाता है।
 पतावली के अन्तर्गत सुनाई होकर तन्वय
 में काम हो वाद दायील दफ्तर हो।

03/05/17
 एडमिटर करन से

उपखण्ड 3
 उदयपुरवादी